



परहार पर सर्वोच्च न्यायालय के दशा-नरिदेश

प्रलमिस के लयि:

परहार, राषट्रपतकी कषमादान शकति अनुच्छेद 72, राषट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 161, राज्यपाल, कारागार अधनियम, 1894, केहर सहि बनाम भारत संघ (1989), दंड प्रकरया संहति (CrPC)।

मेन्स के लयि:

परहार पर सर्वोच्च न्यायालय के नरिदेश, भारत में परहार नयिम और संबंधति संवेधानकि और कानूनी प्रावधान।

[स्रोत: द हदि](#)

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने परहार पर दशा-नरिदेश जारी करते हुए राज्यों को नरिदेश दिया कि वे परहार नीतियों के तहत कैदियों की समय-पूर्व रहिई पर वचिर करें, और उनके लयि सजा में स्थायी छूट को लेकर आवेदन करना ज़रूरी नहीं है।

- वर्ष 2021 में शुरू कयि गए एक [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] मामले में दयि गए इस फैसले का उद्देश्य जेल में भीड़भाड़ की समस्या को दूर करना है, साथ ही छूट के लयि नषिपक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण सुनशिचति करना है।

परहार नीति (2025) पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम दशा-नरिदेश क्या हैं?

- नरिदेश: राज्यों को संवेधानकि और न्यायकि सदिधांतों के साथ संरेखण सुनशिचति करते हुए 2 महीने के भीतर एक स्पष्ट परहार नीति तैयार करनी चाहयि।
- वधिकि मानदंड: परहार के मानदंड उचति होने चाहयि, जैसा कि भाफाभाई मोतीभाई सागर मामले (2024) में बरकरार रखा गया था।
- उचति प्रकरया की आवश्यकता: परहार को मनमाने ढंग से रद्द नहीं कयि जा सकता है, यदशितों का उल्लंघन कयि जाता है, तो राज्य को अपराधी को औचतिय के साथ नोटसि देना चाहयि और अंतमि नरिणय लेने से पहले उसे जवाब देने का अवसर प्रदान करना चाहयि।

नोट:

- राषट्रीय अपराध रकिर्ड बयूरो (NCRB) के वर्ष 2022 के आँकड़ों के अनुसार, भारत की जेलों में 131.4% कैदी हैं, जनिमें 75.8% वचिराधीन हैं।
- भारत में जेल सांख्यिकी रिपोर्ट (2022) के अनुसार, समय से पहले रहिई की संख्या 2,321 (2020) से बढ़कर 5,035 (2022) हो गई है।

परहार (Remission) क्या है?

- परचिय:
 - परहार (Remission) का तात्पर्य सजा की प्रकृत में परिवर्तन कयि बिना जेल की सजा की अवधिको कम करना है।
 - इसमें दोषी को न्यायालय द्वारा नरिधारति मूल अवधिसि पहले रहि करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि वह वशिषिट पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो।
- संवेधानकि प्रावधान:

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

Q. भारतीय कानून के तहत कृषि, दंड में परिवर्तन, छूट, प्रशमन और राहत के बीच अंतर बताइए। ये कार्यकारी शक्तियाँ न्याय और सुधार के सिद्धांतों में किस प्रकार योगदान देती हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

2014:

प्रश्न. मृत्यु दंडादेशों के लघुकरण में राष्ट्रपति के विलंब के उदाहरण न्याय प्राख्यान (डिनायल) के रूप में लोक वाद-वविाद के अधीन आए हैं। क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने/अस्वीकार करने के लिये एक समय-सीमा का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये? वशिलेख कीजिये। (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/scs-direction-on-remission>

